पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 15937
Date / दिनांक: 28-11-2025

आदेश

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या-3056 दिनांक 04.10.2025 द्वारा बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 में निहित प्रावधानो के अलोक मे बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छुट) योजना 2025 प्रभावी किया गया है, यह योजना बिहार गजट के असाधारण अंक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या- 1594 दिनांक- 06 अक्टूबर, 2025 को अधिसूचित किया गया है। जिसका मूल उद्देश्य निम्नवत है -

1. योजना के प्रमुख तत्व- इस योजना का मुख्य उद्देश्य लंबित संपत्ति करों का कतिपय छुट के साथ निष्पादन करना है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तिय वर्ष 2025-26 एवं उसके पूर्व के बकाये संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करने पर पूर्व के सभी लंबित संपत्ति कर के ब्याज की राशि एवं शास्ति को माफ कर दिया जाएगा।
2. योजना का विस्तार – यह योजना सभी आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं केन्द्र/राज्य सरकार की सम्पति एवं संस्थागत सम्पतियों पर समान रूप से लागू होगी।
3. यह योजना अधिसूचना निर्गत की तिथि से दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावी रहेगी।
4. उद्देश्य:- नगर निकाय क्षेत्रों में लंबित संपत्ति-कर के त्वरित संग्रहण को प्रोत्साहित करना।
5. योजना का स्वरूप :-
   i. यदि कोई करदाता दिनांक 31.03.2026 तक अपने लंबित संपति कर का एकमुश्त भुगतान कर देता है, तो उसे शत-प्रतिशत ब्याज एवं शस्ति (Interest and Penalty) से छुट मिलेगी। उक्त अवधि में लंबित करों के भुगतान नहीं करने वाले करदाताओं को पूर्व से निर्धारित ब्याज एवं शास्ति का भुगतान करना होगा।
   ii. यदि किसी करदाता का मामला किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा किसी अन्य फोरम में चल रहा हो, तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते वह न्यायालय अथवा अन्य फोरम से मामले को वापस लेने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करें।
   iii. यदि किसी करदाता ने अपने होल्डिग का स्व-निर्धारण नहीं कराया हो, तो वह भी इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित हो सकता है। ऐसे करदाताओं के संपत्ति कर का निर्धारण आवासीय मामले में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने अथवा नगर निकाय के अधिसूचित होने तथा गैर आवासीय मामले में GST में निबंधन कराने अथवा नगर निकाय के अधिसूचित होने (जो तिथि बाद की हो) की तिथि से प्रभावी होगा।
6. भुगतान की विधि : One Time Settlement (OTS) योजना अन्तर्गत सम्पति कर के भुगतान की सुविधा पटना नगर निगम कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), स्थायी शिविर (Permanent Camps) चलन्त शिविर (Mobile Camp) एवं पटना नगर निगम के संपत्ति कर एवं ठोस कचड़ा प्रबंधन शुल्क के संग्रहण से संबंधित पोर्टल https://pmcptax.bihar.gov.in/ पर उपलब्ध होगी |
7. जाँच एवं वसूली - जाँच एवं वसूली हेतु उक्त योजना के अन्तर्गत किये गये भुगतान की नमूना जाँच (Sample Scrutiny) का प्रावधान होगा। यदि करदाता द्वारा जान-बूझकर तथ्य छिपाया जाता है अथवा गलत प्रस्तुति की जाती है, तो ऐसे करदाता से इस जाँच एवं वसूली हेतु उक्त योजना के अन्तर्गत किये गये भुगतान की नमूना जाँच (Sample Scrutiny) का प्रावधान होगा। यदि करदाता द्वारा जान-बूझकर तथ्य छिपाया जाता है अथवा गलत प्रस्तुति की जाती है, तो ऐसे करदाता से इस योजना के अन्तर्गत दिये गये लाभ को वापस ले लिया जाएगा तथा नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार योजनान्तर्गत यदि किसी करदाता द्वारा उसकी देयता से

अधिक राशि का भुगतान किया गया हो, तो उसकी अधिशेष राशि को उसके द्वारा भुगतेय अगले वर्ष के सम्पति कर में समायोजित किया जाएगा।

अतः आदेश दिया जाता है कि उक्त के आलोक में सरकार के निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम।